सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 03 श्रावण, 1946 (श०)
25 जुलाई, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग	01
(2)	कृषि विभाग	01
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	02
(4)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	01
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	01
(6)	सहकारिता बिभाग	01
	कुल योग --	07

भुगतान कराना

6. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिहटा प्रखण्ड अन्तर्गत स्थित मेगा औद्योगिक पार्क सहित पूरे राज्य में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि का पुराने दर पर भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(ए) में निरूपित प्रावधान के आलोक में पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 के तहत प्रारंभ किये गये भू-अर्जन के मामलों में मुआवजा का भुगतान के संबंध में राजस्व विभाग के पत्रांक 283/रा0, दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा कतिपय दिशा-निर्देश संसूचित किये जाने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का भू-स्वामियों को पुराने दर पर ही भुगतान करने का औचित्य क्या है ?

प्रभारी मंत्री--समाहर्ता, पटना से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है :--

1. पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखण्ड में परियोजना-मेगा औद्योगिक पार्क मेगा औद्योगिक पार्क (भूमि बैंक) तथा बिहटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

2. इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(ए) के प्रावधान निम्नवत है :--

"जिन मामलों में भू-अर्जन की प्रक्रिया पुराने अधिनियम के अन्तर्गत कर दी गयी है, किन्तु पुराने अधिनियम की धारा 11 के अनुसार पंचाट नहीं बना हो तो मुआवजा का निर्धारण नये अधिनियम के अनुसार होगा । मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 26-30 तथा उसके साथ पठित प्रथम अनुसूची के अनुसार की जायेगी" ।

3. भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अनुपालन हेतु विभागीय पत्रांक 283/रा0, दिनांक 26 जुलाई, 2014 से सभी समाहर्ताओं को निदेशित किया गया है ।

4. भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार बिहटा प्रखण्ड अन्तर्गत मेगा औद्योगिक पार्क/मेगा औद्योगिक पार्क (भूमि बैंक)/मेगा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनार्थ विभिन्न मौजों की भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई में जिसमें पंचाट की घोषणा 1 जनवरी, 2014 के बाद की गयी है । मुआवजा के भुगतान हेतु गणना भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार की गई है, जिसके तहत (1) 100 प्रतिशत Solatium (2) Multiplier Factor (3) Additional Compensation 12 प्रतिशत को सम्मिलित कर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है । विस्तृत विवरणी अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है ।

5. वैसे मामले जिनमें भू-अर्जन की कार्रवाई में पंचाट की घोषणा दिनांक 1 जनवरी, 2024 के पूर्व कर ली गई है, वैसे मामलों में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 के प्रावधानानुसार की गई है । वैसे मामले में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू नहीं है ।

कार्रवाई करना

7. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार दिनांक 27 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "पी0 एच0 डी0 कई टेंडर में खेल कई अधिकारी जाँच के घेरे में" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पी0 एच0 डी0 विभाग ने राज्य में पेयजल आपूर्ति के लिये 4706 करोड़ रुपये की राशि की निविदा हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निविदाओं में पदाधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी संख्या में गड़बड़ी पाई गई, जिसमें 826 करोड़ रुपये की अनुबंध को रद्द कर दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । छूटे हुये टोलों में जलापूर्ति हेतु कुल 6365 जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी कुल स्वीकृत राशि 4,706.18 करोड़ रुपये है । छूटे हुये टोलों में जलापूर्ति हेतु कुल 4,429.87 करोड़ की निविदा की गई ।

(2) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि उक्त निविदाओं में निविदा निष्पादन के क्रम में नियमानुसार प्रथम बार में प्राप्त एकल निविदा एवं कोई भी निविदाकार के भाग नहीं लेने के कारण तथा प्राप्त निविदा के समीक्षोपरान्त कुल 822.08 करोड़ की निविदा रद्द करते हुये पुनर्निविदा की गई ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट है ।

कार्रवाई करना

8. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 जुलाई, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "जमीन अधिग्रहण का पैसा बाँटने में जिला भू-अर्जन प्राधिकार सुस्त" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला में एन0एच0 727 और दो लेन आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु भू-अर्जन के लिये प्राप्त 41 करोड़ की राशि में से अबतक 2 करोड़ 25 लाख राशि का ही भुगतान भू-स्वामी को किया गया है तथा सीतामढ़ी में एन0एच0 104/227 के लिये प्राप्त 11 करोड़ 99 लाख के आवंटन के बावजूद अबतक राशि का वितरण भू-स्वामी को शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त परियोजनाओं की लम्बित राशि का भुगतान भू-स्वामी को कराने तथा विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--समाहर्ता पश्चिम चम्पारण (बेतिया) एवं सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है :--

1. पश्चिम चम्पारण (बेतिया) से प्राप्त प्रतिवेदन की वस्तुस्थिति निम्नवत है :--

आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । (i) वस्तुस्थिति यह है कि इस परियोजना के लिये स्वीकृत प्राक्कलित राशि मो० 40,82,45,422.00 (चालीस करोड़ बेरासी लाख पैंतालीस हजार चार सौ बाईस) रुपया में से पूर्व अर्जित भूमि एवं सरकारी भूमि का रैयतीकरण अस्वीकृत होने के कारण मो0 23,67,49,102.00 (तेईस करोड़ सड़सठ लाख उनचास हजार एक सौ दो) रुपया घटाने के उपरान्त मो० 17,14,96,320.00 (सतरह करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार तीन सौ बीस) रुपया का संशोधित प्राक्कलन है ।

(ii) संशोधित प्राक्कलित राशि मो० 17,14,96,320.00 (सतरह करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार तीन सौ बीस) रुपया के विरूद्ध मो0 4,81,41,019.00 (चार करोड़ इक्यासी लाख इकतालीस हजार उन्नीस) रुपया का मुआवजा भुगतान रैयतों कर दिया गया है ।

(iii) शेष रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु शिविर का आयोजन पूर्व में भी किया गया था, जिसके आलोक में कुछ रैयतों के द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया । पुनः शेष रैयतों को भुगतान प्राप्त करने हेतु अंतिम नोटिस निर्गत किया गया हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि निर्धारित तिथि दिनांक 31 जुलाई, 2024 तक राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित मामले को Principal Civil Court में भेज दिया जायेगा ।

2. सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन की वस्तुस्थिति निम्नवत है :--

एन0 एच0 104 (नया नाम N.H 227) हेतु वर्ष 2015-16 में भूमि अर्जन किया गया है। प्राक्कलित राशि एवं वितरित राशि का विवरण निम्नवत है :--

कुल प्राक्कलित राशि - 49,05,19,774 रुपये
कुल वितरित राशि - 41,03,80,036 रुपये
अवशेष राशि - 8,01,39,738 रुपये

एन0 एच0 104 का निर्माण कार्य वर्ष 2022 में ही पूर्ण हो चुका है । अवशेष राशि हेतु किसी हितबद्ध रैयत के द्वारा दावा प्रस्तुत न करने के कारण वितरण नहीं किया गया है ।

लाभ देना

9. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के बुडको द्वारा वर्ष 2020 तक अमृत जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा करना था, परंतु कार्य ससमय पूरा नहीं करने से लोग दूषित जल पीने को विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजना को अविलम्ब पूरा कराकर योजना का लाभ आमलोगों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अमृत जलापूर्ति योजना अन्तर्गत कुल 36 योजनाओं को विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सभी जलापूर्ति योजना का निविदा किया गया । निविदा के माध्यम से संवेदक का चयन करने के पश्चात् योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें 27 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है । 5 योजनाएं एकरारनामा के आलोक में पूर्ण कर ली गई है, किन्तु Variation के रूप में कुछ अतिरिक्त कार्य कराने की आवश्यकता है, जिसे करायी जा रही है एवं शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी । शेष बचे 4 योजनाओं में 3 योजना अगस्त, 2024 तक एवं 1 योजना दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

औचित्य बतलाना

10. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 18 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "धरी रह गई सारी व्यवस्था, मात्र दो प्रतिशत हुई गेहूँ खरीद" के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा राज्य में 15 जून तक 5 लाख टन गेहूँ की खरीद किसानों से करने का लक्ष्य निर्धारित था ;

(2) क्या यह बात सही है कि लक्ष्य के विपरीत मात्र 9903.68 अर्थात मात्र 2 (दो प्रतिशत) ही गेहूँ की खरीद की जा सकी है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में भी लक्ष्य के विपरीत गेहूँ की आधी से भी कम खरीद हो पाई थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार की सारी व्यवस्थाओं के बाद भी लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 2 प्रतिशत ही गेहूँ की खरीद का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

11. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 मई, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "फिश फीड मिल के लिये लाखों की सब्सिडी ली, सालभर में बंद, विभाग नोटिस देकर चुप" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावाँ स्थित बेनर, पटना जिला के फतुहा के जगमाल बिगहा, मोतिहारी के सुखलहिया सहित राज्य के अन्य जिलों में कुल 47 फिश फीड मिल के लिये लाखों की सब्सिडी दी गयी और सालभर मिल चलाकर बंदकर दिया गया, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़ी सब्सिडी प्राप्त फिश फीड मिलों को चालू कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्ड बनवाना

12. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार के 80 फीसदी किसानों के पास नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला सहित राज्य में लगभग 80 फीसदी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है जिसके कारण पशुपालन, मछलीपालन एवं अन्य किसानों को बैंकों के ऋण नहीं मिल पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में कृषि विभाग के पोर्टल पर कुल 1 करोड़ 98 लाख 64 हजार 126 किसान निबंधित है, इनमें से लगभग 38.81 लाख किसानों के पास ही क्रेडिट कार्ड है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पशुपालन एवं मछलीपालन किसानों के हित में ध्यान में रखते हुये वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 25 जुलाई, 2024 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 23(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024